रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2008/फाल्गुन 14, 1929

No. 99] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2008/PHALGUNA 14, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2008

सं. 16/2008-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 163(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्दीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 जून, 2001 में पुन: निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में,–

(I) अनुबंध-I में 'पंजीकरण हेतु आवेदन प्रत्र भरने के लिए अनुदेश' शीर्षक के अंतर्गत :–

(i) क्रम संख्या (5) और उससे संबंधित प्रविष्टि की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(5) वही नाम और उसी तरह होना चाहिए जिस तरह पंजीकरण प्राप्तकर्त्ता द्वारा पंजीकृत किए जाने वाले परिसरों से व्यवसाय चलाए जाने की संभावना है। कृपया सुश्री, श्री आदि जैसे विषय अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय के मामले में स्वामी अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार के नाम का उल्लेख मामलानुसार क्रम सं. 13 में किया जाएगा (अनुदेश सं. 14 देखें)';

(ii) क्रम संख्या (14) और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(14) स्वामित्व विषय अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय के मामले में स्वामी अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार के नाम, जैसा मामला हो, का उल्लेख किया जाएगा। साझेदारी वाली फर्म के मामले में, सभी साझेदारों का ब्यौरा प्रदान किया जाना चाहिए; पंजीकृत/गैर पंजीकृत कम्पनी के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक/प्रबंधन निदेशक/अध्यक्ष/मुख्य निदेशक का ब्यौरा, प्रसंग के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए; सोसायटी के मामले में, इसके अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक सदस्यों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए; किसी अन्य प्रकार के व्यवसाय के मामले में व्यवसाय के प्रबंधन में शामिल मुख्य अधिकारियों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। यदि और नाम दिए जाने हैं तो सभी के संबंध में सूचना पृथक् कागज में उसी प्रकार दिया जाना चाहिए।'

(2) अनुबंध-II के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'प्रपत्र आर सी

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002, के नियम 9 के अंतर्गत)

निम्नलिखित विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन यह प्रमाणित किया जाता है कि :

सुश्री ..... (नाम और प्रकार जिसमें पंजीकरणकर्त्ता द्वारा व्यवसाय किए जाने की संभावना है) (स्वामित्व विषय अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय के मामले में, स्वामी/अविभाजित हिन्दू परिवार का नाम, जैसा मामला हो, दर्शाया जाएगा) को ..... (व्यवसाय परिसर का पता) पर ..... (व्यवसाय का प्रकार) के लिए ..... (प्राप्ति की तारीख) को प्राप्त इस कार्यालय में प्राप्त आवेदन के आधार पर पंजीकृत किया जाता है।

पंजीकरण संख्या है :

उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का हस्ताक्षर

(नाम और कार्यालय मोहर सहित)

दिनांक :

स्थान :

शर्तें

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन में विनिर्दिष्ट परिसरों और उद्देश्यों के लिए ही वैध है।

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय नहीं है।

2. जब तक किसी संशोधन/परिवर्तन के लिए अनुरोध न किया जाए और जब तक उसकी स्वीकृति न मिल जाए, प्रमाणपत्र में कोई भी संशोधन वैध नहीं होगा।

3. यह प्रमाणपत्र तभी तक वैध रहेगा जब तक पंजीकरण प्राप्तकर्त्ता वह कार्यकलाप जारी रखता है जिसके लिए यह जारी किया गया है अथवा जब तक कि वह इसे वापिस नहीं कर देता है अथवा जब तक इसे रद्द अथवा निलंबित न कर दिया जाए ।

4. पंजीकरण परिसरों अथवा उद्देश्य जिसके लिए वह व्यक्ति विधिक रूप से पात्र है के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति(यों) के अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के यह प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

[फा. सं. 201/14/2007-सी एक्स-6]

राहुल नगरे, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 464(अ), दिनांक 26 जून, 2001 के जरिए अधिसूचना सं. 35/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नै.टै.) के द्वारा प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 859(अ), दिनांक 3 नवम्बर, 2003 के जरिए अधिसूचना सं. 81/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नै.टै.) के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2008

No. 16/2008-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 163 (E).—In exercise of powers conferred by rule 9 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001, namely: –

In the said notification, –

(1) in Annexure-I, under the heading, 'Instructions for filling up the Application form for Registration' :—

(i) for serial number (5) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:–

"(5) The name should be the name and style in which the Registrant is likely to carry out business from the premises seeking to be registered. Please do not mention any prefixes such as M/s, Mr., Shri, etc. In case of a proprietary concern or a business owned by Hindu Undivided Family, the name of the proprietor or Hindu Undivided Family, as the case may be, shall be indicated at serial number 13 (see instruction No. 14).";

(ii) for serial number (14) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely: –

"(14) In the case of proprietary concern or business owned by a Hindu Undivided Family, the name of the proprietor or Hindu Undivided Family, as the case may be, shall be mentioned. In the case of a partnership firm, details of all partners are to be provided; in case of Registered/ unregistered company, the details of its Chief Executive Officer/Chairman and Managing Director/Managing Director/ Chairman/key Directors, as per relevance, are to be provided; in the case of Society, the details of its President, key Executive Members, are to be provided; in case of any other type of business, the details of key personnel engaged in management of the business are to be provided. If more names are to be provided the information shall be provided in respect of all in a separate sheet in the same manner.".

(2) for Annexure-II, the following shall be substituted, namely: –

'Form RC

Central Excise Registration Certificate

(Under rule 9 of the Central Excise Rules, 2002)

This is to certify, subject to the conditions specified below, that M/s ..... (name and style in which the Registrant is likely to carry out business) (in case of a proprietary concern or business

owned by a Hindu Undivided Family, the name of proprietorl Hindu Undivided Family, as the case may be, shall also be indicated)

is/are registered for .....(type of business) at ..... (address of the business premises) on the basis of the application received in this office on..... (date of receipt)

Registration Number is :

Signature of Deputy/Assistant Commissioner of Central Excise

(With Name and official seal)

Date :

Place :

Conditions

1. This Registration Certificate is valid only for the premises and purposes specified in the application.
2. Registration certificate is not transferable.
3. No corrections in the certificate will be valid unless the request for anycorrection/change is applied for and the same is acknowledged.
4. This certificate shall remain valid till the Registrant carries on .the activity for which it has been issued or surrenders it or till it is revoked or suspended.
5. The grant of this certificate shall be without prejudice to the rights of any other person(s) over the registered premises or purpose to which such person may be lawfully entitled.'.

[F. No. 201/14/2007-CX.6]

RAHUL NANGARE, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, *vide* notification No. 35/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001, *vide* G.S.R. 464 (E) dated the 26th June, 2001, and were last amended *vide* notification No. 81/2003-Central Excise (N.T.), dated the 3rd November, 2003, *vide* G.S.R. 859(E) dated the 3rd November, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.